भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1440

19 दिसंबर, 2022 को उत्तर के लिए

इस्पात विनिर्माण में प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग

1440. श्रीमती वंदना चव्हाण:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि स्क्रैप और प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग इस्पात के विनिर्माण में किया जा सकता है, जिससे इस प्रक्रिया में प्रयोग होने वाले कोयले की मात्रा कम हो सकती है;

(ख) यदि हाँ, तो इस्पात उद्योग द्वारा सालाना कितने प्लास्टिक अपशिष्ट का उपभोग किया जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप कार्बन उपयोग की कितनी मात्रा कम हो जाएगी;

(ग) क्या सरकार ने कंपनियों के लिए प्रत्येक वर्ष विनिर्माण प्रक्रिया में स्क्रैप और प्लास्टिक कचरे की एक निश्चित मात्रा का उपयोग करने के लिए कोई मानक निर्धारित किए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क) और (ख): भारतीय इस्पात उद्योग द्वारा अपशिष्ट प्लास्टिक की खपत की संभावनाएं मौजूद हैं। कोक निर्माण में अपशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग कोकिंग कोल (1% तक) के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। प्लास्टिक अपशिष्टों को पैट कोक के विकल्प के रूप में भी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ) में आंशिक मात्रा में शामिल किया जा सकता है।

(ग) और (घ): पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम (पीडब्ल्यूएम-2016) तथा दिनांक 06 जुलाई, 2022 को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. जी.एस.आर.522(ई) के माध्यम से उत्तरवर्ती संशोधन के अनुसार इस्पात उद्योग में सह-प्रसंस्करण के लिए केवल "एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल" प्लास्टिक का उपयोग ही अनुमेय है तथा ऐसे अन्य अपशिष्ट प्लास्टिक, जिन्हें पुनर्चक्रित किया जा सकता है, को ही पुनर्चक्रण के लिए अधिदेशित किया गया है। वर्तमान में, "एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल" अपशिष्ट प्लास्टिक की उपलब्धता एक प्रमुख बाधा है।

उपर्युक्त प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अंतर्गत, नगरपालिकाएं/स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट छंटाई, संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण तथा निपटान प्रणाली का स्वयं द्वारा अथवा एजेंसियों या विनिर्माताओं को शामिल करके निर्माण तथा स्थापना के लिए उत्तरदायी हैं।

****